कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–ए/सैट–अप परिवर्तन/16–17 दिनांक–14/09/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(माध्यमिक) शिक्षा विभाग,

विषयः– तृतीय श्रेणी अध्यापक का राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम 6डी के चयन (लेवल–2) उपरान्त सैट–अप परिवर्तन कर पदस्थान हेतु ।

सन्दर्भः– शासन का पत्रांक प.17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक 14/09/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सम संख्यक पत्र दिनांक 07/09/2018 द्वारा 6डी की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकितानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंः–

1	शासन के पत्र दिनांक 14/09/18 के अनुसार वांछित रिक्तियों की गणना कर जिशिअ(प्राशि) को प्रेषित कराना एवं जिशिअ (प्राशि) से 6डी चयनितो की सैट–अप परिवर्तन हेतु सूची प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोट कराना	16/09/2018
2	6डी चयनितों के सैट–अप परिवर्तन कर पदस्थान हेतु रिक्तयों की सूची विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराना	17/09/2018
3	6डी की काउसंलिग (विषय–विज्ञान/गणित, सामाजिक विज्ञान)	18/09/2018
4	6डी की काउसंलिग (विषय–हिन्दी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा)	19/09/2018

उक्त कार्यवाही जिलें में आज दिनांक तक उपलब्ध समस्त रिक्तियों हेतु की जानी है ।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र–अ की सूचना दिनांक 16/09/2018 एवं प्रपत्र–ब की सूचना काउसंलिंग की दिनांक को ही Email-ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

प्रपत्र–अ

क्र. सं.	जिले का नाम	विषय	जिले में अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में लेवल–2 (विषयवार) के 6डी हेतु रिक्त पदों की संख्या	6डी हेतु उपलब्ध लेवल–2 (विषयवार) शिक्षकों की संख्या	6डी हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे शिक्षकों की संख्या
		विज्ञान/ गणित			
		सामाजिक विज्ञान			
		हिन्दी			
		अंग्रेजी			
		तृतीय भाषा–( )			

www.rajteachers.com

प्रपत्र–ब

क्र. सं.	जिले का नाम	विषय	जिले में अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में लेवल–2 के 6डी हेतु रिक्त पदों की संख्या	6डी हेतु काउंसलिग में आमंत्रित शिक्षकों की संख्या	काउंसलिग में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या	अनुपस्थिति शिक्षकों की संख्या	6डी की कार्यवाही के बादजिले में आपके अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में कितने लेवल–2 के रिक्त पद शेष रहे	आदेश जारी किये गये शिक्षकों की संख्या
		विज्ञान / गणित						
		सामाजिक विज्ञान						
		हिन्दी						
		अंग्रेजी						
		तृतीय भाषा–( )						

प्रमाण पत्र

जिले में अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में लेवल–2 के पद 6डी की कार्यवाही किये जाने के पश्चात भर दिये गये है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 का कोई पद रिक्त नहीं है ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–ए / सैट–अप परिवर्तन / 16–17 दिनांक :- 14/09/2018

प्रतिलिपिः–

1–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रासंगिक पत्रानुसार 6डी की कार्यवाही कर सेट–अप परिवर्तन कर पदस्थापन की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से समन्वय स्थापित कर 6डी चयनितों की सूची जिशिअ (मा) को निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध करावें एवं प्रासंगिक पत्र की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु निर्देशित करावें ।

2–समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि 6डी की कार्यवाही सम्पादित करवाये जाने हेतु आपको नॉडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्रानुसार कार्यवाही सम्पन्न करवाकर काउसलिंग हेतु अध्यापकों की सूची एवं रिक्तियॉ की सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाया जाना एवं वांछित प्रपत्र–अ एवं ब की सूचना मेल आई डीEmail-dir.dse@rajasthan.gov.in पर समयानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

www.rajteachers.com

(201)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा–2/2003 जयपुर, दिनांक : 14.9.2018

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– तृतीय श्रेणी अध्यापको का राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम 6डी से चयन उपरान्त सैट–अप परिवर्तन कर पदस्थापन हेतु। (L-2, 9.10)

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि तृतीय श्रेणी अध्यापको का राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम 6डी से चयन उपरान्त सैट–अप परिवर्तन कर पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है :–

1. काउन्सलिंग हेतु विषय का क्रम
   - (i) सामाजिक विज्ञान
   - (ii) हिन्दी
   - (iii) गणित/विज्ञान
   - (iv) तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी)
   - (v) अंग्रेजी

2. रिक्तियों के निर्धारण
   - (i) सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा तथा गणित/विज्ञान
     - (A). माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्धित विषय के समस्त रिक्त पद
     - (B). यदि बिन्दु संख्या– 2(i)(A) के पश्चात् भी नवचयनित शिक्षकों की संख्या काउंसलिंग के लिए निर्धारित रिक्त पदों की संख्या से अधिक है तो प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी क्षेत्र के विद्यालयो के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद (कक्षा 6 से 8 के नामांकन के घटते क्रम में)
   - (ii) अंग्रेजी
     - (A). माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्धित विषय के समस्त रिक्त पद
     - (B). यदि बिन्दु संख्या– 2(i)(A) के पश्चात् भी नवचयनित शिक्षकों की संख्या काउंसलिंग के लिए निर्धारित रिक्त पदो की संख्या से अधिक है तो प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी क्षेत्र के विद्यालयो के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद (कक्षा 6 से 8 के नामांकन के घटते क्रम में)

     नोट – यदि बिन्दु संख्या– 2(i)(A)(B) के पश्चात् भी नवचयनित शिक्षकों की संख्या काउंसलिंग के लिए निर्धारित रिक्त पदों की संख्या से अधिक है तो सम्बन्धित विषय के आवश्यक रिक्त पदों की सीमा तक राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के तहत नियुक्त प्रारम्भिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयो से पदस्थापित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के सम्बन्धित विषय के रिक्त पदो पर पदस्थापित किया जाकर उक्त रिक्त पदो को भी रिक्तियों में शामिल किया जावे (कक्षा 6 से 8 के नामांकन के घटते क्रम में)।

14.9.18

www.rajteachers.com

3. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावेगी।
4. टीएसपी एरिया हेतु टीएसपी नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
5. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदस्थापन हेतु वरियता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जावेगा :-
   (i). 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)
   (ii). विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)
   (iii). महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)
   (iv). अन्य शेष अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा बिन्दु संख्या-2 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या-5 के अनुसार तैयार की गई वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित वरीयता क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श कैंप) आयोजित किया जावेगा।
7. तृतीय श्रेणी अध्यापक द्वारा Counselling Camp (परामर्श कैंप) में चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेगे।
8. जो तृतीय श्रेणी अध्यापक Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थित रहेगें, उन्हें Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।
9. ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका माध्यमिक शिक्षा अथवा प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी क्षेत्र में स्वेच्छा से पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा चुका है, उनसे विकल्प पत्र लिया जाकर यथावत रखा जा सकता है।
10. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही details where about) की सही जाँच कर आदेश जारी किये जावे, त्रुटियाँ नहीं हो। संस्थागत त्रुटियाँ होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय जाँच सुनिश्चित की जावें।
11. उपरोक्त कार्यवाही हेतु विभागीय दिशा-निर्देश 21.04.2016, 24.06.2016, 31.01.2017, 28.03.2018 तथा 20.06.2018 की पालना भी सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

www.rajteachers.com

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था-एफ-1ए/सैट-अप परिवर्तन/18 दिनांक-14/09/2018

प्रतिलिपिः-

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि 6डी की कार्यवाही हेतु आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07/09/18 द्वारा नोडल अधिकारी किया गया है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करावें ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करावें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।